



**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail :- pccf-development@gov.in, Phone No. 0651-2481813



पत्रांक : 01 / योबजट-22/2016-554 दिनांक : 19.06.2019

प्रेषक,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

यन प्रमण्डल पदाधिकारी, राँची वन प्रमण्डल/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/सरायकेला वन प्रमण्डल/जमशेदपुर वन प्रमण्डल/दुमका वन प्रमण्डल/साहेबगंज वन प्रमण्डल/जामताडा वन प्रमण्डल

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण, वनभूमि पर वृक्षारोपण तथा शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का सम्पोषण कार्य (घतुर्थ वर्ष) के लिए कुल ₹0 36.306 लाख (छत्तीस लाख तीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4 / योबजट-22/2016-55 / स्वी0, व0प0 राँची दिनांक 17.01.2017 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04 / योबजट-22/2016-21 / आ0 व0प0 दिनांक 16.05.2019 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपकंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल ₹0 36.306 लाख (छत्तीस लाख तीस हजार छ: सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	31.463
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	4.843
कुल :-		36.306

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 (क) से (ग) पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 (क) से (ग) पर तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या—19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार सहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत सुसंगत दिशा—निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. वन प्रमण्डलों द्वारा “स्थल विशेष प्राक्कलन” श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी जिसकी प्रमण्डलवार समेकित प्रतिवेदन प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय में समर्पित किया जायेगा।

6. नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास होंगे। नियंत्री पदाधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से प्रत्येक माह वन एवं पर्यावरण विभाग को अवगत कराया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के नियंत्रक पदाधिकारियों एवं संबंधित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ वन संरक्षक द्वारा योजना के कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा।

8. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी परिस्थिति में उप आविटि राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथ एतद् संबंधी पत्र—परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

10. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

11. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत दिशा—निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या—940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुसार सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक सार (60P) वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

13. रोपित पौधों/वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

14. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का औंकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/डाक घर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-22 / 2016-554 दिनांक—19.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/जमशेदपुर/दुमका/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/जमशेदपुर/दुमका/देवघर/इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01 / यो0बजट-22 / 2016-554 दिनांक—19.06.2019

प्रतिलिपि :— अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/सिमडेगा/चाईबासा/सरायकेला-खरसावाँ/दुमका/साहेबगंज/जामताड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं  
भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों पर वृक्षारोपण का  
सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			7035.21	961.00	7996.21
i	ii	iii	iv	v	vi
1	रीची वन प्रमंडल, रीची	30.00	2.111	0.288	2.399
2	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, रीची	40.00	2.814	0.384	3.198
3	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, आदित्यपुर	30.00	2.111	0.288	2.399
4	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, सिमडेगा	40.00	2.814	0.384	3.198
5	सामाजिक वानिकी प्रमंडल, चाईबास्ता	40.00	2.814	0.384	3.198
योग :-		180.00	12.664	1.728	14.392

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं  
भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण का सम्पोषण  
कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)


क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			9533.51	1590.00	11123.51
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सरायकेला वन प्रमंडल, सरायकेला	55.18	5.261	0.877	6.138
2	जमशेदपुर वन प्रमंडल, जमशेदपुर	30.00	2.860	0.477	3.337
3	दुमका वन प्रमंडल, दुमका	30.00	2.860	0.477	3.337
योग :-		115.18	10.981	1.831	12.812

वित्तीय वर्ष 2019-20 में कार्यान्वित की जाने वाली अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं  
भू-संरक्षण' योजना (जनजातीय क्षेत्रीय उपयोजना) के अंतर्गत शीघ्र बढ़नेवाले पौधों का वृक्षारोपण  
का सम्पोषण कार्य (चतुर्थ वर्ष) का प्रमंडलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

राशि (लाख में)

क्र० सं०	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेठो में)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
			13031.13	2138.50	15169.63
i	ii	iii	iv	v	vi
1	साहेबगंज वन प्रमंडल, साहेबगंज	30.00	3.909	0.642	4.551
2	जामताडा वन प्रमंडल, जामताडा	30.00	3.909	0.642	4.551
योग :-		60.00	7.818	1.284	9.102
सकल योग :-		355.18	31.463	4.843	36.306

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 04 / यो0व0-22/2016-55 / स्वी0 व0प0 दिनांक 17.01.2017



प्रद्युम्न मुखन रनज वन संरक्षक, विकास,  
जारखण्ड, रीची

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1000 पौधे मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. x 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (वर्तुर्थ वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी-निकौनी	हेक्टेक्टर	14.00	3497.62	0.00	3497.62	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	785.00	785.00	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	2.00	499.66	176.00	675.66	
योग :-			28.16	7035.21	961.00	7996.21	

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम— वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3 मीटर x 2 मीटर)

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (वर्तुर्थ वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी एवं निकौनी	हेक्टेक्टर	23.00	5746.09	0.00	5746.09	
2	सामग्री (उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	1300.00	1300.00	
3	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टेक्टर)	रस्ता	12.16	3037.93	0.00	3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	3.00	749.49	290.00	1039.49	
	योग—		38.16	9533.51	1590.00	11123.51	

प्रधान मुख्य सचिव संरक्षक, विकास,  
 शारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-2 (ग)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर  
योजना का नाम : शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण (2500 पौधा प्रति हेक्टेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टेक्टर : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मीटर X 2 मीटर

मजदूरी दर : 249.83 रुपये प्रति मानव दिवस

क्र० सं०	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अग्रियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
<b>(A) सम्पोषण कार्य (वर्तुल वर्ष)</b>							
1	एक कोडनी-निकोनी	हेक्टेक्टर	35.00	8744.05	0.00	8744.05	
2	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / गूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हेक्टेक्टर	0.00	0.00	1962.50	1962.50	
3	पौधों की सुरक्षा		12.16	3037.93		3037.93	
4	मृत पौधों का प्रतिस्थापन	हेक्टेक्टर	5.00	1249.15	176.00	1425.15	
योग :-			52.16	13031.13	2138.50	15169.63	

  
 प्रधान मुख्यमन्त्री संरक्षक, विकास,  
 झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

## झारखण्ड सरकार

साल वित्तीय वर्ष 2019-20 में व्यय हेतु निम्नलिखित दस्तावेज बजट रीपोर्ट के सम्में अधिकतर आवंटन की जल्दी है।

प्रबंध संख्या - 01/YB-22/2016/554

दिनांक -

19-Jun-2

क्रमांक	विपर नाम	एकाउंट नं.	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राची 01 - वानिकी 796 - जनरालीय ऐव उपचारका 58 - अधिकृतिक वन मूमि पर कुशारीपण एवं धू-संरक्षण 01 - बैतल एवं भरो 03 - मवडुरी State Scheme	31664	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO, RANCHI FORES DIVISION RA	211,100.00 रुपये दो लाख चारह इनार एक रु
2	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राची 01 - वानिकी 796 - जनरालीय ऐव उपचारका 58 - अधिकृतिक वन मूमि पर कुशारीपण एवं धू-संरक्षण 01 - बैतल एवं भरो 03 - मवडुरी State Scheme	31665	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	281,400.00 रुपये दो लाख इक्काहारी हजार चार रु
3	S 19 240601796580103 2406 - वानिकी तथा बन्ध प्राची 01 - वानिकी 796 - जनरालीय ऐव उपचारका 58 - अधिकृतिक वन मूमि पर कुशारीपण एवं धू-संरक्षण 01 - बैतल एवं भरो 03 - मवडुरी State Scheme	31666	JSRFOR116 SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR,	211,100.00 रुपये दो लाख चारह इनार एक रु
	State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			703,600.00

दोग़:

वानिकी दोग़:

रुपये सात लाख तीन हजार रु. रु

Mr. VIKAS SINGH GAUR (IFS)  
DFO, DEV.JHARKHAND RANCHI

ब्राह्मणक	विषय कोड	एवरेज नं	निकासी एवं व्यवस्था पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राची 01 - बानिकी 796 - जगतारीय सेव उपयोगिता 58 - अधिभूतित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-भूत्याक्ष 01 - वैतन एवं भासे 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31667	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA, रुपये दो लाख इकायासी हजार चार सौ DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	281,400.00
5	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राची 01 - बानिकी 796 - जगतारीय सेव उपयोगिता 58 - अधिभूतित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-भूत्याक्ष 01 - वैतन एवं भासे 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31668	SGHFOR001 SRI. LAXMI NATH BARAIK, रुपये दो लाख इकायासी हजार चार सौ D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	281,400.00
6	S 19 240601796580103 2406 - बानिकी तथा बन्य प्राची 01 - बानिकी 796 - जगतारीय सेव उपयोगिता 58 - अधिभूतित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं मू-भूत्याक्ष 01 - वैतन एवं भासे 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31669	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN, रुपये चाँच लाख चाल्हीस छहार एक सौ D. F. O. SERAIKELLA-KHARSAWAN	526,100.00
<hr/>				
योग:				1,088,900.00
अधिक छोट:	रुपये स व ह लाख व्यवस्थापै छजार पीछे सौ			1,792,500.00

SRI. SANJAY SINGH GAUR IFS  
FCOF DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं.	निकासी एवं व्यवस्था वदा.	आवंटित राशि
7	S 19 240601796580103	31670	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	286,000.00
	2406 - राजिकी गया बन्द प्राणी 01 - राजिकी 796 - जनजातीय सेवा उपयोगना 58 - अधिकृति बन भूमि पर कुशारोपण एवं झू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भारी 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये दो लाख तियासी हजार
8	S 19 240601796580103	31671	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	286,000.00
	2406 - राजिकी गया बन्द प्राणी 01 - राजिकी 796 - जनजातीय सेवा उपयोगना 58 - अधिकृति बन भूमि पर कुशारोपण एवं झू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भारी 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये दो लाख तियासी हजार
9	S 19 240601796580103	31672	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	390,900.00
	2406 - राजिकी गया बन्द प्राणी 01 - राजिकी 796 - जनजातीय सेवा उपयोगना 58 - अधिकृति बन भूमि पर कुशारोपण एवं झू-संरक्षण 01 - बेतन एवं भारी 03 - मतदूरी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA			रुपये तीन लाख नवे हजार नी सी
				962,900.00
				2,755,400.00

दोग:

इकाइयक दोग:

रुपये सलाइस लाख परम्परा हजार चार दो

  
 (P.C. DEV JHARKHAND RANCHI)

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकायी एवं व्यवस्था पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 240601796580103 2406 - बालिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योग 58 - अधिमुखित वन मूलि पर वृक्षारोपण एवं मू-मंत्रवाच 01 - वैतन एवं खर्च 03 - संजटुरी State Scheme	31673	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA.	390,900.00
11	S 19 240601796580323 2406 - बालिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योग 58 - अधिमुखित वन मूलि पर वृक्षारोपण एवं मू-मंत्रवाच 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं वापरी State Scheme	31674	DRNFWL013 SHABA ALAM ANSARI DFO. RANCHI FORES DIVISION RA	28,800.00
12	S 19 240601796580323 2406 - बालिकी वन्य वन्य प्राणी 01 - बालिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपर्योग 58 - अधिमुखित वन मूलि पर वृक्षारोपण एवं मू-मंत्रवाच 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं वापरी State Scheme	31675	DRNFWL004 SHRI ASHOK KUMAR DUBEY DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI	38,400.00
दोष:				458,100.00
इकाइयां:				3,213,500.00

ISH VIKRAM SINGH GAUR (FS)  
FCOF.DEP.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विधर कोड	एकलेस नं	निकाली एवं बचत राशि.	आवंटित राशि
13	S 19 240601796580323	31678	JSRFOR116	26,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राची 01 - वानिकी 796 - जनजातीय सेव उपयोगमा 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b> State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	SHASHI KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADJTYAPUR JSR.	रुपये अठाइस हजार आठ सौ	
14	S 19 240601796580323	31679	SDGAIF002	38,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राची 01 - वानिकी 796 - जनजातीय सेव उपयोगमा 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b> State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA	रुपये अठाइस हजार चार सौ	
15	S 19 240601796580323	31680	SGHFOR001	38,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राची 01 - वानिकी 796 - जनजातीय सेव उपयोगमा 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b> State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	SRI. LAXMI NATH BARAIK D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	रुपये अठाइस हजार चार सौ	

रोज़:


105,600.00

इमिक दोषः


रुपये लैलीस लाख उन्नीस हजार एक सौ

3,319,100.00

  
 PCCF DEV.JHARKHAND RANCHI

क्रमांक	विषय कोड	एकलेशन नं	निकासी रावं व्यवज्ञ पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी लगा बन्द प्राणी 01 - वानिकी 796 - बनवालीव लेव उपवीजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर कुशाग्रीपथ एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - वार्षिक एवं सामर्थी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31681	SKLFOR001 ADITYA NARAYAN D. F. O. SERAIKELLA-KHARSA WAN	87,700.00 राष्ट्रीय वित्तालीव हजार सात सौ
17	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी लगा बन्द प्राणी 01 - वानिकी 796 - बनवालीव लेव उपवीजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर कुशाग्रीपथ एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - वार्षिक एवं सामर्थी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31682	JSRFOR051 SRI ABHISHEK KUMAR (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR.	47,700.00 राष्ट्रीय वित्तालीव हजार सात सौ
18	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी लगा बन्द प्राणी 01 - वानिकी 796 - बनवालीव लेव उपवीजना 58 - अधिकृत वन भूमि पर कुशाग्रीपथ एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यव 23 - वार्षिक एवं सामर्थी <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31683	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA	47,700.00 राष्ट्रीय वित्तालीव हजार सात सौ
<hr/>				
योग:				183,100.00
क्रमिक योग:	राष्ट्रीय वित्तालीव लाख दो हजार के सी			3,502,200.00
<hr/>				
 (S.P. VINAY SINGH GAUR (F.S)) <i>SC</i> POOF DEV JHARKHAND RANCHI				

क्रमांक	विषय कोड	एवरीस नं	निकासी पर्यंत लब्धता पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्द प्राप्ती 01 - वानिकी 796 - जगजातीय सेव उपयोगना 58 - अधिगृहित वन भूमि पर बुधारीपथ एवं घू-भैरवन 03 - प्राचारनिक लदा 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31684	SBJFOR001 MAHALING DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	64,200.00
20	S 19 240601796580323 2406 - वानिकी तथा बन्द प्राप्ती 01 - वानिकी 796 - जगजातीय सेव उपयोगना 58 - अधिगृहित वन भूमि पर बुधारीपथ एवं घू-भैरवन 03 - प्राचारनिक लदा 23 - आपूर्ति एवं सामग्री <b>State Scheme</b>  State Scheme : AFFORESTATION & SOIL CONSERVATION ON NOTIFIED FOREST LAND(1278) Central Scheme : NA	31685	JMTFOR001 SUSHIL SOREN. D.F.O. JAMTARA	64,200.00
				
वोट:				128,400.00
अनिक योग:	सचिव धर्मसंघ जन्म तीर राजा रा: श्री			3,630,600.00

  
SRI VIRENDER SINGH GAUR IPS  
PCCF, DEV, JHARKHAND RANCHI